मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 06.02.2026

थाना ड्रमण्डगंज पुलिस द्वारा चैन स्नैचिंग के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त 12 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार, चैन (पीली धातू) का टूकडा बरामद—

थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 05.02.2026 को वादी मनीष सोनी पुत्र सुभाष सोनी निवासी देवहट थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध शादी समारोह से वापस आते समय वादी की बहन के गले से चैन छीन कर भागने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ड्रमण्डगंज पर मु0अ0सं0-14/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

"सोमेन बर्मा" पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उक्त अपराध में त्वरित कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए थाना प्रभारी ड्रमण्डगंज को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांकः 06.02.2026 को उप निरीक्षक त्रिलोचन प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त वकील कोल पुत्र छोटे लाल कोल निवासी बिलरा पटेहरा थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

वकील कोल पुत्र छोटे लाल कोल निवासी बिलरा पटेहरा थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-14/2026 धारा 304(2),317(2) बीएनएस, थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर।

बरामदगी विवरण-

चैन का टूकड़ा (पीली धातू)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

उप निरीक्षक त्रिलोचन प्रताप सिंह मय पुलिस टीम थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर।

****